डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. उदययिंह, 2. चुतरसिंह, पि0 भेरसिंह, जाति— राजपुत, नि0 धारवी खुर्द तह0 शिव		राजपैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम।
राजस्व वाद संख्याः— 03/2019

दिनांक :— 17.06.2019

उपस्थितः— 1. नरेन्द्रसिंह सियाग वादीगण अधिवक्ता।
2 राजपैरोकार तहसीलदार शिव।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाबखुर्द, पटवार मण्डल धारवीकला, तहसील शिव के खेत खसरा न0 366, 394, 512/392, 518/394 रकबा कमशः 01.18, 22.10, 88.00, 13.01 बीघा कुल रकबा 125.09 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड की अन्य प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए वादीगण की वल्दियत भंवरसिंह के स्थान पर भेरसिंह होना घोषित किया जाता है।।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

खर्चा पक्षकार अपना — अपना वहन करेंगे।

आदेश आज तारीख 17.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(प्रतापसिंह आई.ए.एस)
सहायक कलक्टर, शिव

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या:— 03/2019

17.06.19	पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण वकील उप0। राज पैरोकार उप0। वादीगण ने इस आश्य का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा न0 366, 394, 512/392, 518/394 रकबा कमशः 01.18, 22.10, 88.00, 13.01 बीघा कुल रकबा 125.09 बीघा भूमि ग्राम धारवी खुर्द, पटवार मण्डल धारवी कला, तह0 शिव में अवस्थित है। वादीगण की वास्तविक एवं रेकर्डेड वल्दियत भेरसिंह दर्ज थी किन्तु राजस्व रेकर्ड संधारण के दौरान वादीगण की वल्दियत भेरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह दर्ज हो गई जो लिपिकिय भूमि से गलत दर्ज हो गई। जिसके संबंध में वादीगण को कोई जानकारी नही रही। जबकि वादीगण के अन्य आवश्यक दस्तावेजात यथा/ आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक बचत खाता पास बुक, मतदाता पहचान पत्र व सहकारी किसान कार्ड व अन्य दस्तावेजो में भी वादीगण की वल्दियत भेरसिंह दर्ज होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे भी अपनी वल्दियत भंवरसिह के स्थान पर भेरसिंह घोषित करवाना चाहते है। हमने वाद पंजीयन कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। जिस पर प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादीगण की वल्दियत दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। वकील वादीगण एवं राज पैरोकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, प्रतिवादी का जवाब दावा एवं हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वर्तमान जमाबंदी, खतोनी बंदोबस्त, पूर्व की जमाबन्दीयो एवं वादीगण के अन्य आवश्यक दस्तावेजो में भी वादीगण की वल्दियत भेरसिंह दर्ज होने से तथा प्रतिवादी द्वारा भी कोई आपति प्रस्तुत नही होने से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतित नही होती है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाबखुर्द, पटवार मण्डल धारवीकला, तहसील शिव के खेत खसरा न0 366, 394, 512/392, 518/394 रकबा कमशः 01.18, 22.10, 88.00, 13.01 बीघा कुल रकबा 125.09 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड की अन्य प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए वादीगण की वल्दियत भंवरसिंह के स्थान पर भेरसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:56:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: